F NO. T-74074/10/2019-WSE DTE/1377

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 21.10.2019

विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतीकरण।

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (कार्य योजना एवं परियोजना /अभिकल्प एवं अनुसंधान / नदी प्रबंध) के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

21.10.2019
वरिष्ठ कलाकार
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

संलग्नक: उपरोक्त

उप निदेशक, (ज. प्र. अ.) निदे० 21/10/2019

निदेशक, (ज. प्र. अ.) निदे० 21-10-19

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली

जानकारी हेतु - सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर देखें।

News item/letter/article/editorial published on 21.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☑	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

ToI-21

IMD to launch app on weather forecasts

Vishwa.Mohan@timesgroup.com

New Delhi: Seeking to fill a critical information delivery gap, the country's national weather forecaster, India Meteorological Department (IMD), will come out with its own mobile app to provide round-the-clock weather forecasts and warnings on the model of US-based AccuWeather. The IMD app will be ready in the next two-three months.

Though IMD's app will be an India-centric weather information platform, it will cover all relevant weather parameters such as temperature, humidity, rain, wind speed and wind direction, besides flashing warnings and advisories on users' mobile screens. "We will use our own forecasts unlike many apps which download data from other sources and provide it to people in a user-friendly manner," ministry of earth sciences secretary Madhavan Rajeevan told **TOI**.

Admitting that dissemination processes at IMD were "very poor", Rajeevan said, "We do a lot of good work and generate a lot of forecasts but the final delivery to people is not very good."

Referring to these gaps, Rajeevan said IMD would have to change its strategy of communicating with people. IMD currently has an exclusive mobile app, called Meghdoot, for farmers. It brings high resolution weather forecast-based district-and crop-wise agro advisories to farmers.

INDIAN EXPRESS · 21.10.2019

FROM STATES

REFORMS TRACKER

UTTAR PRADESH IE-21

Illegal extraction of groundwater curbed

LAST WEEK, the Uttar Pradesh Groundwater Management and Regulation Act 2019 came into force. This legislation makes the illegal extraction of groundwater a punishable offence. Beyond the punitive aspects, the new law also makes it mandatory to install a rainwater harvesting system for not just all government offices but also all semi-government, government-funded offices as well as private institutions. "Groundwater Management and Regulation Act has come into force to permanently resolve the receding groundwater crisis. The bill will bring pace to the water conservation policy. The law will also help in reducing the water pollution," said V K Upadhyay, Director, Uttar Pradesh Groundwater Department.

News item/letter/article/editorial published on 21.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☑	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Overcast sky gives way to rain, farmer protest goes on

BENGALURU, DHNS

The overcast sky of the last two days gave way to thundershowers on Friday night, leaving many streets flooded.

The rainfall, accompanied by gusty winds, battered Shivajinagar, HSR Layout, Halasuru, Madiwala, Shanthinagar, Koramangala, Chamarajpet, MG Road, Indiranagar, Basavanagudi and many other parts of the city. Roadside gutters overflowed with dirty water in some areas.

People returning home after work had to take shelter under flyovers and metro structures. An official from the BBMP control room claimed that there wasn't any casualty or tree fall.

The sudden rainfall failed to break the resolve of farmers from North Karnataka who have been on a sit-in protest at the railway station for the past few days, demanding the implementation of the Mahadayi drinking water project. While some women protesters did take shelter in the railway station, most of them refused to move.

"We are fighting for Mahadayi water. Rain or shine, we will continue," the protesters said.

MG Road on a rainy Friday night. DH PHOTO/IRSHAD MAHAMMAD

News item/letter/article/editorial published on 21/10/2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Morning Standard,

BILLIONS DOWN THE URBAN DRAINS

Around ₹3.7 trillion—that's how much India lost due to floods in the last 65 years. India's total GDP in 2017 was ₹1 trillion short of that figure. In 2015 alone, flood damages cost the economy ₹57,000 crore, of which 45%, around ₹26,000 crore, was in Tamil Nadu. Cut to 2019: India witnessed the wettest monsoon in about 25 years. Around 13 states went under water and conservative estimates put the death toll at 1,500.

Urban floods are no more restricted to urban areas. With tier-2 cities also witnessing widespread haphazard construction, with wetlands and lakes being encroached upon, devastating floods are the new norm in smaller towns. The UN's Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that the trend is likely to get worse. Coastal cities like Mumbai and Chennai now lose at least $6 billion every year due to floods, says a recent IPCC report. This could go up to $1 trillion if measures are not put in place. But policies to combat urban floods are still not a part of public discourse.

Though politicians visited flood-hit areas and relief camps in Maharashtra to campaign, most parties make no mention of measures they would take to mitigate urban flooding. Neither do manifestos carry any promises on this front. The situation is no different in other states. There is focus on disaster relief and disaster forecast systems, but very little attention is paid to regulating and planning development. For instance, Chennai is set to become the first Indian city to have an 'intelligent' flood warning system. Officials will get real-time information on areas that are inundated, crucial in providing relief measures. But what policies are being framed to prevent flooding? Real estate developers continue to encroach upon waterbodies across India, by exploiting loopholes in rules. In Chennai for instance, this newspaper recently reported how a developer has applied three times for reclassification of a waterbody for real estate development. Unless proactive measures are taken to regulate development, no forecasting technology can save us from the reality of disasters.

News item/letter/article/editorial published on 21/10/2019. in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi) ☐	Deccan Herald (Bengaluru) ☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली) ☐
The Statesman (New Delhi) ☐	Deccan Cronicle ☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली) ☐
The Times of India (New Delhi) ☐	The Economic Times (New Delhi) ☐	पंजाब केसरी (दिल्ली) ☐
The Indian Express (New Delhi) ☐	Business Standard(New Delhi) ☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली) ☐
The Hindu (Delhi) ☐	The Tribune (Gurugram) ☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली) ☐
Pioneer (Delhi) ☐	Financial Express ☐	जनसत्ता (दिल्ली) ☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली) ☑	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली) ☐	अमर उजाला (नई दिल्ली) ☐

and documented at WSE Dte, CWC.

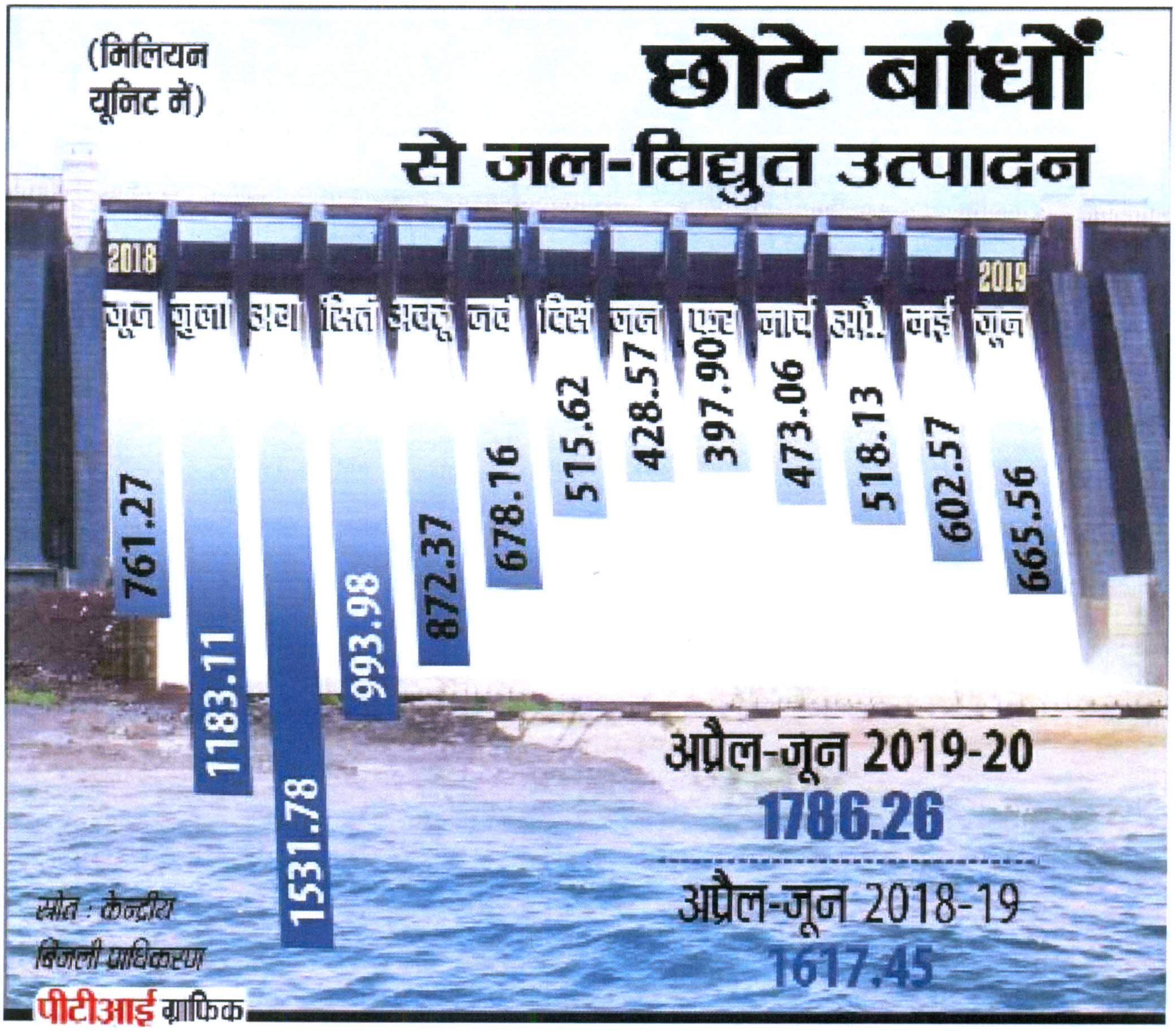

News item/letter/article/editorial published on 21.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☑
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

सरकार कर रही जलसंकट के स्थायी समाधान के प्रयास

21/10 RP

विधायकों से पानी पर मांगी रिपोर्ट, वाटर एक्ट में दिए जाएंगे अधिकार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. सरकार ने विधायकों से पानी को लेकर उनके क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी है। इसमें जल की उपलब्धता, परेशानी, स्थिति और मांग सहित पूरा विस्तृत ब्योरा देने के लिए कहा गया है। विधायकों को सरकार वाटर एक्ट में अधिकार देगी, ताकि स्थानीय स्तर पर जलस्त्रोत संबंधित कामों में जनप्रतिनिधि की हिस्सेदारी रहे। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रारूप का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

दरअसल, राज्य सरकार पानी के अधिकार का मसौदा तैयार कर रही है। प्रारंभिक रूप से इसका ड्रॉफ्ट बन चुका है, जिस पर अब सलाह-मशविरा और अपग्रेडशन का सिलसिला चल रहा है। इसमें पीएचई विभाग ने जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार देने की वकालत की है। इसके तहत विधायकों से उनके इलाकों की स्थिति को लेकर पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे पहले बैठक करके विधायकों से उनके इलाकों की हालत की जानकारी ले चुके हैं। इसे अब रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि पूरी स्थिति मुख्यालय स्तर पर मौजूद रहे।

सरकार की मंशा है कि हर जल स्त्रोत का पूरा डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार रहे, ताकि उसका एक्शन प्लान बनाने के पहले ही वहां की स्थिति और जरूरत का पूरा आकलन मौजूद रहे। पूर्व में विभागीय दस्तावेज व विधायकों के फीडबैक में भारी अंतर रहा है, इस कारण इस बार पानी पर पूरा एक्शन प्लान तैयार करने के पहले ही जनप्रतिनिधियों से इस पर फीडबैक लिया जा रहा है।

News item/letter/article/editorial published on 19.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☑	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Modi: Will get back India's water share flowing into Pak

DEEPENDER DESWAL
TRIBUNE NEWS SERVICE

HISAR, OCTOBER 18

Prime Minister Narendra Modi on Friday assured farmers of putting an end to water shortage and reiterated that he had taken steps to get the due share of water flowing to Pakistan back to India.

Addressing a rally here in the run-up to the October 21 elections, the Prime Minister said previous governments in Delhi (at the Centre) did nothing as water meant for Haryana farmers and other parts of the country flowed to Pakistan.

"A water plan under the Jal Jeevan Mission has been chalked out at a cost of ₹3.5 lakh crore. The objective is to provide every farmland and household with water by 2024," he said.

Taking an indirect dig at Pakistan, Modi said: "Maine bhi Haryana ka paani piya hai. Ek baar thaan liya to karke hi rahta hu. Apke haq ka hai, aapko milna chahiya. Iske liye har jaroori kadam uthane shuru kar diye hain. Main paani yahan bolta hun, aag vahan lagti hai (I have drunk Haryana's water. Once I decide to do something, I get it done. Water is your right and you will get it. Steps have already been initiated in this direction. When I talk about water, it sparks fire in Pakistan)."

Modi urged voters to give another term at the hustings to the BJP government so that the Centre and the Haryana Government could work in tandem to resolve the water issue.

He claimed he had got a whiff of political wave in the state and hoped people were set to give a record-breaking mandate to the BJP. "You very well know the deeds of the BJP government and the misdeeds of the previous governments. You have to decide which way you want to go," the PM added.

Recalls bond with Sampat Singh

Former minister Sampat Singh was taken by surprise when Prime Minister Narendra Modi showed warmth during their meeting on stage. Modi held his hand and had a brief discussion before raising hands. Sampat said they had an old political association when Modi was incharge of Haryana affairs and the BJP was in alliance with the INLD, the party Sampat was associated with till 2009. Sampat said he was surprised that the Prime Minister recalled their old association and told Birender Singh that he had learnt many things about Haryana politics from Sampat.

News item/letter/article/editorial published on 19.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☑	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Water for drinking top priority: NGT

TIMES NEWS NETWORK

TOI-P9

New Delhi: Availability of water for drinking is the top priority and it is for industries and authorities concerned to find out alternatives for their sustenance instead of permitting indiscriminate withdrawal of groundwater, National Green Tribunal has said.

Since the "critically" exploited areas have been found to be seriously affected by the withdrawal of groundwater, NGT has asked for regulation of water extraction for commercial purposes.

"The availability of water for drinking is the first priority. The 'precautionary' and 'sustainable development' principles, the inter-generational equity are part of life and in the absence of replenishment of groundwater, unregulated drawal thereof cannot be held to be the right of any commercial entity. The shortage of water for commercial purposes cannot be remedied by withdrawal of groundwater in over, critically and semi-critical exploited (OCS) areas," a bench headed by NGT chairperson Justice AK Goel said.

News item/letter/article/editorial published on 19.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☑
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

नहरबंदी के मायने

RP 19/10

राजस्थान के दस जिलों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर यों तो समूचे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने से इसकी हालत दयनीय हो गई है। वर्षों से रख-रखाव नहीं होने के कारण प्रदेश के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। इस नहर की बदहाल सूरत की अब जाकर सुध ली गई है। सरकार ने 3291 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट इसके लिए मंजूर किया है। पर सवाल यही है कि क्या काम वक्त पर पूरा हो पाएगा? समय पर काम पूरा हुआ तो अगले मानसून के बाद प्रदेश को पांच हजार क्यूसेक अधिक पानी मिल सकता है। मरम्मत का काम बड़ा होने के कारण इस बार संभवतः नहरबंदी भी सर्वाधिक 70 दिन होने की चर्चा है। हालांकि, अधिकारी अभी बंदी की अवधि के बारे में कुछ स्पष्ट बताने से बच रहे हैं। रबी की फसलें तो मार्च तक पक जाएंगी। लेकिन, खरीफ की प्रमुख फसलों की बिजाई इस बंदी से प्रभावित होने की आशंका है।

मार्च से जून में लंबी बंदी लेने पर किन्नू सहित अन्य फलों के बागों पर भी विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि, एक माह तक पूर्ण नहरबंदी के बाद 2500 क्यूसेक पानी प्रवाहित करने की योजना है, जिसका उपयोग सिर्फ पेयजल के लिए होगा। लेकिन सवाल यही है कि किन्नू और अन्य फलों के बाग कैसे बच पाएंगे? फिलहाल विभागीय अधिकारियों के पास भी इन बागों को बचाने की कोई योजना नहीं है। थोड़ा-बहुत सहारा किसानों के खेतों में बनी डिग्गियां हो सकती हैं लेकिन इन डिग्गियों की क्षमता भी इतनी नहीं कि बाग बचाए जा सकें। विकल्प के रूप में किसानों को नहरबंदी से पूर्व पानी जमा करने की छूट दी जा सकती है। किसानों को भी नहरबंदी के हालात को समझते हुए बागवानी को बचाने के उपाय समय रहते करने होंगे। हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर दोनों जिले कृषि प्रधान हैं। ऐसे में यहां का कृषिगत ढांचा पूरी तरह चरमरा नहीं जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को इसका भी ख्याल करना होगा।

HINDUSTAN - 19.10.2019

'पेयजल की उपलब्धता पहली प्राथमिकता'

H-19/10

पहल

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को पेयजल की उपलब्धता को पहली प्राथमिकता बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे में सरकार/ सक्षम प्राधिकार व उद्योग पर भूजल के अनियंत्रित दोहन की अनुमति देने के बजाय उद्योगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने का जिम्मेदारी है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि चूंकि गंभीर दोहन से गुजर चुके क्षेत्रों को अत्यधिक भूजल निकालने की वजह से प्रभावित पाया गया है, ऐसे में वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए भूजल के निकासी पर नियंत्रण में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। पीठ ने पेयजल की उपलब्धता को पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही कहा कि ऐहतियाती सिद्धांत, सतत विकास तथा पीढ़ी दर पीढ़ी समानता जीवन का हिस्सा है तथा भूजल के संभरण के अभाव में उसे अनियंत्रित रूप से निकाले जाने को किसी भी वाणिज्यिक निकाय के लिए अधिकार नहीं माना जा सकता।

नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार : एनजीटी

एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका के जरिए एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने को डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी। ईपीसीए ने नौ अक्तूबर को कहा था कि डीजल जेनरेटर सेट दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद आदि में प्रतिबंधित रहेंगे।

News item/letter/article/editorial published on 19.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☑
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जल संकट का खतरा

19/10

सरहिंद नहर में 20 फीट दरार भरने के लिए कम किया गया पानी

फतेहगढ़ साहिब, (एजैंसी): पंजाब के कई क्षेत्रों सहित हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पानी का संकट पैदा हो सकता है।

यह स्थिति भाखड़ा की सरहिंद नहर में पानी का बहाव कम करने से उत्पन्न हुई है। नहर के किनारे में गांव शहजादपुर के पास करीब 20 फीट का कटाव से दरार को गई है। इसके भरने के लिए पानी का बहाव कम किया गया है। इसका हरियाणा के अधिकारियों ने विरोध किया है।

दरार के कारण नहर के टूटने का खतरा बढ़ गया है। पंजाब ने भाखड़ा बांध से नहर में पानी की मात्रा 5500 क्यूसिक से कम करवाकर 4500 क्यूसिक करवा दी है। पंजाब के अधिकारियों ने नहर में आई दरार भरने की कोशिश शुरू कर दी है। नहर में पानी कम करने के पंजाब के इस कदम से हरियाणा परेशान हो गया है।

150 बोरियों के पांच क्रेट नहर में गिराए

अब करीब 150 बोरियों का क्रेट बनाकर उसे तारों के जाल में लपेटकर नहर की दरार वाली जगह में गिराया जा चुका है। इन बोरियों में सीमेंट, रेत और बजरी का मिश्रण भरा जाता है। वीरवार को ऐसे पांच क्रेट नहर में गिराए गए। इसके बाद भी विभाग को दरार की गहराई पता नहीं चली है। शुक्रवार को भी सुबह से ही कार्य जारी है। समाना से आए गोताखोरों ने दरार की गहराई करीब 35 फीट बताई है। गोताखोर पहले डुबकी लगाकर गहराई का पता लगा रहे हैं और फिर नहर में क्रेट गिराया जा रहा है। हालांकि विभाग को इस प्रयोग में सफलता हाथ नहीं लगी है।

दरार भरने में लगाए 100 मजदूर

एक्सईएन चंद्रमोहन शर्मा का कहना है कि पानी की मात्रा कम करना जरूरी था। उन्होंने पानी की मात्रा 3000 क्यूसिक करने की मांग की थी। फिर भी नहर में 4500 क्यूसिक बह रहा है। दरार भरने में 100 मजदूर लगाए गए हैं। हिट एंड ट्रायल प्रक्रिया से सफलता मिल जाएगी। नहर में पानी की मात्रा कम करने पर एक और खतरा मंडराने लगा है। दशकों से सफाई के इंतजार में इस नहर के नंगल हाइडल चैनल पर ब्रिक्स लिनिंग (ईंटों का अस्तर) टूटने लगी है। इस कारण नहर में पानी की मात्रा 4500 से कम नहीं की जा रही है। ईंटों की लिनिंग टूटने से अन्य जगह दरार पड़ने का खतरा है।

NAVA BHART TIMES - 19.10.2019

हरियाणा का पानी नहीं जा सकता पाकिस्तान : मोदी

NBT-19/10

■ **एनबीटी न्यूज, हिसार :** पीएम मोदी ने शुक्रवार को हिसार में जनसभा में कहा कि भारत के प्रदेश हरियाणा के लोगों के हक का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके लिए सरकार कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देश में पहले ऐसी सरकारें रहीं, जिसने देश के किसानों को उनके हक का पानी देने के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा के किसानों को पानी नहीं मिलता था और पहले की सरकारें चुप रहकर तमाशा देखती रहीं। कहा, यह मोदी है, जो ठान लेता है पूरा करके रहता है। पाकिस्तान जा रहा भारत का पानी हम रोकेंगे।

News item/letter/article/editorial published on 19.10.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐	हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐	नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐	पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐	राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☑
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐	दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐	जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐	अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

RP-19/10

निगम को मिला ट्रांसफार्मर

अभी शहर को कुछ दिन और झेलना पड़ेगा पानी का संकट

मार्ग सही नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर लगने में लगेगा कुछ और दिन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

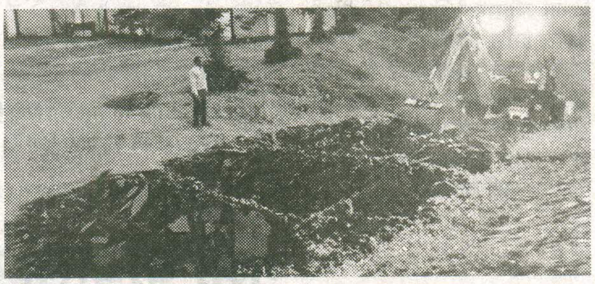

ट्राला मार्ग को सही करने का काम निगम ने शुक्रवार को शुरू कर दिया।

इंदौर. शहर में पानी का संकट अभी कुछ दिन और रह सकत है। दरअसल, जलूद से नर्मदा का पानी इंदौर भेजने में शामिल भकलाय फिल्टर स्टेशन को बिजली सप्लाय करने वाला ट्रांसफार्मर रविवार को जल गया था। इसकी जगह नया ट्रांसफार्मर बिजली कंपनी ने नगर निगम को दे तो दिया, पर निगम के सामने एक दिक्कत खड़ी हो गई है। ट्रांसफार्मर जिस जगह लगाना है, वहां के रास्ते इतने खराब हैं कि ट्राला ले जाना निगम के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रहा है। ट्राला शुक्रवार शाम जलूद पहुंच गया, लेकिन इसे जिस रास्ते से जाना है, वह काफी उबड़ खाबड़ है। इन रास्तों को समतल करने का काम शुक्रवार को नगर निगम ने शुरू किया है। निगम ने बिजली कंपनी से ट्रांसफार्मर किराए पर लिया है।

बिजली सप्लाय करने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया जाना है, वह लगभग 70 टन वजनी है। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर गुरुवार को ही निगम को दे दिया, लेकिन इसे यहां तक लाने के लिए आवश्यक लो फ्लोर ट्राला निगम के पास नहीं था। ट्राला शुक्रवार को भोपाल से जलूद बुलवाया गया। निगम ने उबड़ खाबड़ रास्ते में मौजूद मिट्टी के टिलों को हटाने के साथ ही निचली जगहों को मिट्टी से भरने का काम शुरू किया है। ये काम शुक्रवार रात तक चलता रहा। बताया जा रहा है, शनिवार दोपहर तक मार्ग सही हो पाएगा। इसके बाद ही ट्रांसफार्मर यहां तक लाया जा सकेगा। उसके बाद ही ट्रांसफार्मर लगाया जा सकेगा। इसके बाद इसको मुख्य लाइन से जोड़कर बिजली सप्लाय शुरू की जाएगी। ऐसे में पानी सप्लाय के लिए निगम द्वारा दी गई सोमवार की डेडलाइन पिछड़ जाएगी। सूत्र बताते हैं, बुधवार तक ही पानी सप्लाय सामान्य हो पाएगा।

ट्रांसफार्मर मिल गया है, पर रास्ता सही नहीं होने के कारण तय समय पर ट्रांसफार्मर नहीं लग सकेगा। खराब रास्ते को बनाना शुरू कर दिया है। रोड का काम जल्द कर लेंगे। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू कर देंगे।

चैतन्य रघुवंशी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम

नहीं भर पा रहीं टंकियां

नर्मदा से इंदौर आने वाले 450 एमएलडी पानी में से महज 360 एमएलडी पानी ही अभी शहर में आ पा रहा है। इस कारण शहर में रोजाना 5 से ज्यादा टंकियां पूरी क्षमता तक नहीं भर पा रही हैं। इससे पानी की किल्लत बनी हुई है। ये हालात बीते सोमवार से बने हुए हैं।